प्रेस नोट

दिनांक 02.05.2025

थाना राठ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा के साथ जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व जिला बदर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.05.2025 को थाना राठ पुलिस टीम द्वारा जिलाबदर अभियुक्त हरिनारायण उर्फ हन्ना पुत्र नरपत को एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर के साथ जलालपुर रोड राठ से गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 203/2025 धारा 10 UP गुण्डा अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हरिनारायण उर्फ हन्ना पुत्र नरपत (उम्र करीब 31 वर्ष) निवासी ग्राम सरसई थाना राठ जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 08/21 धारा 380, 411, 457 आईपीसी थाना राठ जनपद हमीरपुर
2. मु0अ0सं0 77/21 धारा 380, 411, 457 आईपीसी थाना राठ जनपद हमीरपुर
3. मु0अ0सं0 78//21 धारा 380, 411, 457 आईपीसी थाना राठ जनपद हमीरपुर
4. मु0अ0सं0 79/21 धारा 380, 411, 457 आईपीसी थाना राठ जनपद हमीरपुर
5. मु0अ0सं0 80/21 धारा 60 आबकारी अधि0थाना राठ जनपद हमीरपुर
6. मु0अ0सं0 81/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राठ जनपद हमीरपुर
7.मु0अ0सं0 449/21 धारा 3/323/504 भा0द0स0 थाना राठ जनपद हमीरपुर
8. मु0अ0सं0 503/21 धारा 3(1) गैगेस्टर अधि0 थाना राठ जनपद हमीरपुर
9. मु0अ0सं0 65/2024 धारा 60 आब0 अधि0 थाना चिकासी जनपद हमीरपुर
10. मु0अ0सं0 166/2024धारा 360 आब0 अधि0 थाना राठ जनपद हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 शिवम दत्त
2.का0 जितेन्द्र कुमार यादव
3.का0 अमित कुमार